न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 53 / 2022

1 कुन्दनलाल पुत्र श्री रामुकमार उम्र 44 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 जानीराम दत्तक पुत्र श्री भरथाराम उम्र 63 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 रघुवीर पुत्र श्री बुद्धराम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 रोताश पुत्र श्री बुद्धराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 पवन पुत्र श्री रामसिंह उम्र 38 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सुरेन्द्र पुत्र श्री रामसिंह उम्र 34 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 बीरमती पुत्री श्री रामसिंह उम्र 42 साल पत्नी श्री राजपाल सिंह जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद चांदवास उप तहसील बाढ़ड़ा जिला दादरी हरियाणा।
7 बिमला पत्नी रामसिंह उम्र 70 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामकुमार उम्र 58 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 रतन पुत्र श्री रामुकमार उम्र 48 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 नन्दलाल पुत्र श्री रामकुमार उम्र 46 साल जाति जाट निवासी कुलोठकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पिलोद जरिये शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद जरिये शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

13 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. सेक्शन 225 आरटीएक्ट 1955
विरूद्ध आदेश दिनांकित 10.03.2022 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी
कुन्दलाल बनाम जानीराम वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषे. अ.धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व
अ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी 0 धारा 151
सीपीसी मु.नं. 96/2021

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/4/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा. दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर 394, 395 के नये खसरा नम्बर 394, 975/395, 976/395, 977/395, 790/395, 791/395, 792/395 वाके कुलोठ कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उक्त दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय करते वक्त प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन का बिन्दु व असहनीय क्षति का बिन्दु तैय नहीं किये है जबकि दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय करते वक्त इन तीनों बिन्दुओं को तैय करने का आदेशात्मक प्रावधान है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उक्त प्रकरण में बहस प्रार्थी/अपीलान्ट प्रथम दृष्टया केस साबित है क्योंकि पूर्व में भी विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा उनवानी रामकुमार बनाम बुद्धराम वगै. दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 148/91 भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 11.51 है., खसरा नम्बर 394 रकबा 0.08 है. जमीन वाके ग्राम कुलोठ कलां का निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.12.1991 को हुआ है जो इसी जमीन खसरा नम्बर 395 में से प्रार्थी/अपीलान्ट को रकबा 3.84 है. जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 7 फरीक दावा थे। इस प्रकार से फरीकेन में विवादित आराजियात का निर्णय बाहमी निर्णय व डिक्री के द्वारा हो चुका है। इस प्रकार से विचारण न्यायालय की पत्रावली प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 लगायत 10 रकबा 3.84 है. के खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी साबित है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय दिनांकित 10.03.2022 पर सही ढंग से गौर नहीं किया इसलिये विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया केस होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय दिनांकित 10.03.2022 के द्वारा उक्त दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। पूर्व में उक्त आराजी गत खसरा नम्बर 395 रकबा 11.51 है. व खसरा नम्बर 394 रकबा 0.08

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है. किता 2 कुल रकबा 11.59 है. वाके ग्राम कुलोठ कलां के हाल खसरा नम्बर 975/395 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 976/395 रकबा 1.82 है. , खसरा नम्बर 977/395 रकबा 1.82 है., खसरा नम्बर 790/395 रकबा 2.26 है. किता 7 कुल रकबा 11.59 है. वाके ग्राम कुलोठ कलां की बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. झुन्झुनूं की अदालत में दावा चला है जिसमें कुआं को छोड़कर शेष भूमि पक्षकारान में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से की घोषित करवा ली। इस प्रकार से पक्षकरान के द्वारा उक्त निर्णय दिनांकित 30.12.1991 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. झुन्झुनूं के द्वारा पारित हो गया। परन्तु विचारण न्यायालय ने ना तो प्रस्तुत दावा व दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा पर ही गौर फरमाया व ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को सही ढंग से पढ़ा इसलिये विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रार्थी के हक में सुविधा का संतुलन का बिन्दु बखुबी साबित है इसलिये विचारण न्यायालय उक्त सरसरी आदेश दिनांकित 10.03.2022 के द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट की प्रस्तुत दरख्वास्त खारिज करने में सक्षम व काबिल नहीं थी इसलिये विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 मय खर्चा काबिले खारिज हर सूरत में है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त असहनीय क्षति का बिन्दु भी सही ढंग से तैय नहीं किया इसलिये भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 10.03.2022 मय खर्चा खारिज है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा. दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर 394, 395 के नये खसरा नम्बर 394, 975/395, 976/395, 977/395, 790/395, 791/395, 792/395 वाके कुलोठ कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का पहले खातेदार हरदेव था। सन 1989 तक हरदेवा काश्त करता था। सन 1989 को हरदेवा का फौत इन्तकाल सं. 3 से हरदेवा के तीनों पुत्रों के नाम विरासतन इन्तकाल स्वीकृत हुआ। दिनांक 19.06.1992 को हरदेवा के तीनों पुत्रों ने आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र की धारा नम्बर 02 में अंकित भूमि का जरिये अनुबन्ध पत्र द्वारा विधिवत विभाजन कर लिया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाद रामकुमार बनाम बुद्धराम वगै. मुकदमा नम्बर 149/1991 के निर्णय दिनांक 30.11.1991 की पालना प्रार्थी के पिता रामकुमार बिमार होने के कारण 11 माह बाद दिनांक 24.11.1992 को मृत्यु हो जाने पर नहीं करवा सका। भूमि खसरा नम्बर 394 व 395 का खातेदार हरदेवा पुत्र अगड़ी था हरदेवा के देहांत के बाद उसके तीनों पुत्र रामकुमार भरथाराम एवं बुद्धराम अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार हुये दिनांक 19.06.1992 को तीनों भाईयों ने अनुबन्ध पत्र से विभाजन कर लिया विभाजन करने के बाद तीनों भाई विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार हुये। बुद्धराम के हिस्से में खसरा नम्बर 394 रकबा 0.08 है. एवं खसरा नम्बर 395/1 रकबा 5.39 है. भूमि विभाजन के मुताबिक आई। खसरा गिरदावरी संवत 2059 से 2062, 2063 से 2066 में बुद्धराम विभाजन के अनुसार काबिज काश्तकार है तथा बुद्धराम के देहांत के बाद बुद्धराम के विधिक वारिसान रामसिंह, रघुवीर खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 2070 एवं 2071 से 2074 विभाजन के अनुसार काबिज काश्तकार है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन एवं मनन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर 394, 395 के नये खसरा नम्बर 394, 975/395, 976/395, 977/395, 790/395, 791/395, 792/395 वाके कुलोठ कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का अंकन कर अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा 11 पेज का जवाब प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अप्रार्थीगण के जवाब का कोई अंकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के आवेदन के निस्तारण के लिए विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना केवल 4 लाईन में निर्णय पारित कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सकारण निर्णय पारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर गुणावगुण पर पुनः सकारण निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय में इस न्यायालय से पत्रावली प्रेषित होकर प्राप्त होने तक उभयपक्ष विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर कैम्प झुन्झुनू